FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL
JAIPUR, RAJASTHAN

APPEAL NO.FA/0038/2017

Nishant Arora & Another
Vs.
State of Rajasthan & Anr

RECORD OF PROCEEDINGS

Date – 21.11.2017
Present :-

Shri Ashish Tak, Advocate for appellant
Shri Abhijit Sharma, Advocate on behalf of Shri V.D. Gathala, Advocate for respondent State

बहस सुनी गई। बहस के दौरान यह तथ्य आया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बीकानेर ने खाद्य पदार्थ के निर्माता को पक्षकार नहीं बनाया है। आलौच्य आदेश दिनांक 13.04.2017 में यह उल्लेखित है कि अपीलार्थी द्वारा खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु जिससे खरीद करना बताया है, उससे खरीद से संबंधित बिल व अन्य आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए। इसके अलावा पत्रावली के अवलोकन से यह भी प्रकट होता है कि फार्म नं. 05A में खरीद किए खाद्य पदार्थ का विवरण निम्नप्रकार से किया गया है:——

"PREMIUM BAKE RUSK (BRITANNIA) पोली पैक 300gmX4
Bread Toast
Lot No A0615460202A
PKD 11/06/15
AO- Quality Food. Plot No. G-59 SIDCO Industrial Estate Kakallur, Thiruvallur 602003 TN

FSS ACT के तहत खाद्य पदार्थ PREMIUM BAKE RUSK (BRITANIA) पोली पैक 300 ग्राम (ब्रेड टोस्ट) का नमूना जांच हेतु क्रय करने की सूचना बाबत'' तथा फार्म B में खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट में

Brand Name	-	BRITANNIA PREMIUM BAKER RUSK (BREAD TOAST)
Batch No	-	A06115460202A
Date of Mfg	-	11/06/15,
Best Before	-	4 Months,
symbol for Non Veg	-	Given symbol given,
Nutritional information	-	Given,
List of Ingredients	-	Given,
Name & Add. of Mfr./Pkr	-	K.G.FOOD GRAMDUYOG

SANSTHAN, 7 K.M. , DEHRADUN ROAD, SAHARPUR-247001, U.P. LIC NO-10012051000227 अंकित किए है। इस प्रकार फार्म नं. 05A एवं फार्म B में काफी विसंगतियां भी है तथा फार्म B के अनुसार खाद्य पदार्थ को काम में लेने की अवधि 04 महिने है। उक्त 04 महिने किस दिनांक से मानी जाये इसका उसमें कोई उल्लेख नहीं है।

अतः प्रकरण में आगे बहस सुने जाने से पूर्व निम्न सूचनाएं संबंधित पक्ष उपलब्ध करावेः——

1. अपीलार्थीगण खाद्य पदार्थ विक्रय करने हेतु जिससे खरीद किया गया है, उसकी खरीद से संबंधित पुख्ता प्रमाण पेश करे।
2. खाद्य सुरक्षा अधिकारी यह स्पष्ट करे कि फार्म नं. 05A और फार्म B में खाद्य पदार्थ के विवरण बाबत जो विसंगति है, उसका क्या कारण है।
3. खाद्य विश्लेषक यह स्पष्ट करें कि क्या किसी खाद्य पदार्थ के लेबल पर केवल यह लिख देना कि Best Before 4 Months पर्याप्त है, यदि पर्याप्त है तो उक्त खाद्य पदार्थ किस तिथि तक प्रयोग में लिया जा सकता है।

पत्रावली तीन सप्ताह बाद पेश हो।

(Umesh Kumar Sharma)
Presiding Officer

खाद्य सुरक्षा अपीलीय अधिकरण, जयपुर
सत्यमेव जयते
FOOD SAFETY APPELLATE TRIBUNAL, JAIPUR